गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 289
दि. 20.02.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

न्यायपालिका की सख्त चेतावनी: मुफ्त योजनाओं की संस्कृति पर गंभीर सवाल

नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ती मुफ्त योजनाओं की संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकारों और राजनीतिक दलों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अंधाधुंध मुफ्त सुविधाएं देना न केवल आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह समाज की कार्य संस्कृति और आत्मनिर्भरता की भावना को भी कमजोर कर सकता है। अदालत ने कहा कि यदि लोगों को हर जरूरी सुविधा बिना किसी प्रयास के मुफ्त मिलने लगे, तो उनके भीतर श्रम करने की प्रेरणा धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है, जो किसी भी राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश के कई राज्यों में चुनावी घोषणाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, नकद सहायता और अन्य सुविधाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरकारों को यह याद दिलाया कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना होता है, न कि उन्हें स्थायी रूप से सरकारी सहायता पर निर्भर बनाना। अदालत ने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है, लेकिन सहायता और निर्भरता के बीच एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। यदि सरकारें बिना किसी पात्रता या आवश्यकता के सभी वर्गों को मुफ्त सुविधाएं प्रदान करती रहेंगी, तो यह न केवल आर्थिक असंतुलन पैदा करेगा, बल्कि समाज में आत्मसम्मान और परिश्रम की भावना को भी कमजोर करेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि वे अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकें।

यह मामला तमिलनाडु में घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी शर्त के मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना से जुड़ा है, जिसमें हर दो महीने में 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। इस योजना को लेकर अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और यह जानने की कोशिश की है कि क्या ऐसी योजनाएं वित्तीय रूप से टिकाऊ हैं और क्या वे वास्तव में जरूरतमंदों तक ही सीमित हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि जब राज्य पहले से ही राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं, तो वे इतनी बड़ी मात्रा में मुफ्त सुविधाएं देने का खर्च कैसे वहन करेंगे और इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि चुनावों के समय राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं तेजी से बढ़ जाती हैं। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक

प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और आर्थिक नीतियों को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किए जाने का खतरा पैदा कर सकती है। अदालत ने कहा कि किसी भी योजना का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को मजबूत करना होना चाहिए। यदि मुफ्त योजनाओं के कारण राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो अंततः इसका प्रभाव विकास परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा।

देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मुफ्त योजनाओं का बढ़ता बोझ एक गंभीर विषय बन गया है। आंकड़ों के अनुसार, देश पर कुल सरकारी कर्ज लगभग 270 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जिसमें राज्य सरकारों का हिस्सा भी बहुत बड़ा है। कई राज्यों में मुफ्त बिजली, नकद सहायता और अन्य योजनाओं पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च किया जा रहा है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता पर दबाव बढ़ रहा है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में कर्ज-से-GSDP अनुपात लगातार बढ़ रहा है, जो आर्थिक संतुलन के लिए चिंता का विषय है। हालांकि कुछ राज्यों में यह अनुपात अपेक्षाकृत कम है, लेकिन वहां भी राजस्व घाटे का दबाव बढ़ता जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में नकद सहायता योजनाओं का चलन भी तेजी से बढ़ा है, खासकर महिलाओं, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। इन योजनाओं के माध्यम से सरकारें सीधे लोगों के बैंक खातों में धन हस्तांतरित कर रही हैं, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिलती है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव तभी सकारात्मक होगा, जब इनके साथ रोजगार सृजन और कौशल विकास जैसी पहल भी की जाए। केवल नकद सहायता से स्थायी आर्थिक विकास संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए उत्पादन, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णयों में भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की थी। अदालत ने कहा था कि मुफ्त राशन और अन्य सुविधाओं के कारण कुछ लोग काम करने के बजाय सरकारी सहायता पर निर्भर हो रहे हैं, जो समाज के लिए दीर्घकालिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। अदालत ने नीति आयोग, वित्त आयोग और अन्य संस्थाओं से इस विषय पर सुझाव देने को कहा था, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कल्याणकारी योजनाएं आवश्यक हैं, लेकिन उन्हें लक्षित और संतुलित तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

न्यायपालिका की यह टिप्पणी केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे से भी जुड़ी हुई है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की मेहनत, नवाचार और आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है। यदि लोग सरकारी सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, तो यह उनकी व्यक्तिगत क्षमता और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं, जो लोगों को अवसर प्रदान करें, न कि उन्हें स्थायी रूप से सहायता पर निर्भर बनाएं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारों को मुफ्त योजनाओं के बजाय रोजगार सृजन, कौशल विकास, शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि लोगों को रोजगार और आय के स्थायी स्रोत मिलेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें मुफ्त सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होगी। यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि समाज में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी देश के नीति-निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आर्थिक नीतियों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कल्याणकारी योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना होना चाहिए, न कि उन्हें निर्भर बनाना। यदि सरकारें इस संतुलन को बनाए रखने में सफल होती हैं, तो यह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।

अंततः, यह मुद्दा केवल मुफ्त योजनाओं का नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य की दिशा से जुड़ा हुआ है। क्या भारत एक आत्मनिर्भर और परिश्रमी समाज के रूप में आगे बढ़ेगा, या मुफ्त सुविधाओं पर निर्भर समाज बन जाएगा, यह आने वाले वर्षों में सरकारों की नीतियों और उनके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश को संतुलित, आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

प्यार, अधिकार और न्याय की जंग: पालतू कुत्ते की कस्टडी को लेकर हाईकोर्ट पहुंचीं महुआ मोइत्रा

नई दिल्ली। पालतू जानवर केवल एक जीव नहीं होते, बल्कि वे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। उनका साथ इंसान के जीवन में भावनात्मक जुड़ाव, स्नेह और अपनापन लेकर आता है। जब ऐसे किसी प्रिय पालतू को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो यह केवल कानूनी मामला नहीं रहता, बल्कि यह भावनाओं, अधिकारों और रिश्तों का भी प्रश्न बन जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें महुआ मोइत्रा ने अपने पालतू रॉटवाइलर कुत्ते 'हेनरी' की कस्टडी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला अब कानूनी और भावनात्मक दोनों दृष्टियों से चर्चा का विषय बन गया है।

इस मामले में न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वकील जय अनंत देहादराई को नोटिस जारी किया है और उनसे इस संबंध में जवाब मांगा है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि वह दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेगी। यह मामला केवल एक पालतू कुत्ते की कस्टडी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन जटिल परिस्थितियों को भी दर्शाता है, जब पालतू जानवरों के स्वामित्व और देखभाल को लेकर विवाद अदालत तक पहुंच जाता है।

महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में साकेत कोर्ट के 10 नवंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें हर महीने दस दिनों के लिए हेनरी की कस्टडी देने से इनकार कर दिया गया था। उनका कहना है कि यह आदेश कानून और तथ्यों के अनुरूप नहीं है और इसमें वास्तविक परिस्थितियों का सही आकलन नहीं किया गया। उन्होंने अदालत के समक्ष यह भी बताया कि हेनरी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह ज्यादातर समय उनके साथ ही रहता था। केवल तब, जब वह अपने संसदीय कार्यों या अन्य जिम्मेदारियों के कारण दिल्ली से बाहर जाती थीं, तब ही हेनरी को अस्थायी रूप से जय अनंत देहादराई के पास रखा जाता था।

महुआ मोइत्रा का यह भी कहना है कि एक पालतू जानवर के साथ भावनात्मक संबंध को केवल संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि इस मामले को केवल कानूनी अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि पालतू जानवर के कल्याण और भावनात्मक जुड़ाव के दृष्टिकोण से भी देखा जाए। उनका मानना है कि हेनरी के साथ उनका संबंध गहरा और स्नेहपूर्ण है, और उसे उनसे दूर रखना न केवल उनके लिए बल्कि हेनरी के लिए भी मानसिक रूप से कठिन हो सकता है।

यह मामला इस बात की ओर भी संकेत करता है कि आधुनिक समाज में पालतू जानवरों का महत्व कितना बढ़ गया है। आज के समय में लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और उनके साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। ऐसे में जब किसी कारणवश विवाद उत्पन्न होता है, तो यह केवल संपत्ति का मामला नहीं रहता, बल्कि यह भावनात्मक अधिकार और जिम्मेदारी का भी प्रश्न बन जाता है। अदालतों के सामने भी ऐसे मामलों में संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की चुनौती होती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में पालतू जानवरों की कस्टडी से जुड़े मामलों के लिए स्पष्ट और विस्तृत कानून अभी विकसित हो रहे हैं। ऐसे मामलों में अदालतें परिस्थितियों, स्वामित्व के प्रमाण, देखभाल की जिम्मेदारी और पालतू जानवर के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेती हैं। यह मामला भी संभवतः भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

इस विवाद ने यह भी स्पष्ट किया है कि पालतू जानवरों के प्रति लोगों की जिम्मेदारी केवल उनके पालन-पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उनके भावनात्मक और मानसिक कल्याण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अदालत का अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि वह सभी तथ्यों, परिस्थितियों और दोनों पक्षों की दलीलों का किस प्रकार मूल्यांकन करती है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में पालतू जानवरों के बढ़ते महत्व और उनके प्रति लोगों के भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाता है।

गगनयान की सफलता की ओर मजबूत कदम: अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा स्वदेशी ड्रोग पैराशूट

चंडीगढ़। भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान और स्वदेशी तकनीकी क्षमता के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए 'ड्रोग पैराशूट' का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह परीक्षण न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती का भी प्रमाण है। इस सफलता के साथ भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह मानव अंतरिक्ष उड़ान जैसे जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशन के हर महत्वपूर्ण पहलू में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस महत्वपूर्ण परीक्षण के दौरान ड्रोग पैराशूट पर सामान्य उड़ान के दौरान पड़ने वाले भार से भी अधिक लोड डाला गया, ताकि उसकी वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता का सटीक आकलन किया जा सके। वैज्ञानिकों ने इस परीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि पैराशूट अत्यधिक दबाव, तेज गति और कठिन परिस्थितियों में भी

अपनी संरचनात्मक मजबूती और कार्यक्षमता बनाए रखेगा। परीक्षण के सफल परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि भारत द्वारा विकसित यह पैराशूट अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने में पूरी तरह सक्षम है। यह उपलब्धि भारत के स्वदेशी डिजाइन, इंजीनियरिंग और अनुसंधान क्षमता की उत्कृष्टता को दर्शाती है। ड्रोग पैराशूट अंतरिक्ष मिशन के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों में से एक होता है। जब अंतरिक्ष यान अपना मिशन पूरा करके पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश करता है, तब उसकी गति अत्यधिक तेज होती है। इस स्थिति में ड्रोग पैराशूट सबसे पहले खुलता है और कैप्सूल की गति को नियंत्रित करते हुए धीरे-धीरे कम करता है। इसके बाद मुख्य पैराशूट खुलते हैं, जो अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से समुद्र या निर्धारित स्थान पर उतारने में मदद करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ड्रोग पैराशूट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह प्रारंभिक चरण में ही गति को नियंत्रित करके पूरी लैंडिंग प्रक्रिया को सुरक्षित बनाता है। यदि यह प्रणाली पूरी तरह विश्वसनीय नहीं हो, तो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए इस पैराशूट का सफल परीक्षण मिशन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह अत्याधुनिक परीक्षण चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में 'रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड' सुविधा का उपयोग करके किया गया। यह सुविधा उच्च गति और अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों का कृत्रिम रूप से निर्माण करने में सक्षम है, जिससे वैज्ञानिक वास्तविक अंतरिक्ष वापसी की परिस्थितियों का सटीक अनुकरण कर सकते हैं। इस परीक्षण में पैराशूट की संरचना, उसकी मजबूती, लोड सहन करने की क्षमता और उसके प्रदर्शन का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। परीक्षण के सफल परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह पैराशूट अंतरिक्ष मिशन के दौरान आने वाली सभी संभावित चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।

इस उपलब्धि के पीछे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों का संयुक्त प्रयास रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर इस जटिल परीक्षण को सफल बनाया। यह सहयोग भारत की वैज्ञानिक क्षमता और संस्थागत समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन संस्थानों ने वर्षों के अनुसंधान, परीक्षण और तकनीकी विकास के बाद इस महत्वपूर्ण प्रणाली को तैयार किया है, जो गगनयान मिशन की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी तकनीक के माध्यम से पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर: भाजपा विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा ने थामा टीएमसी का हाथ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले दल-बदल का दौर तेज हो गया है और इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। कुर्सियांग से पहली बार विधायक बने बिष्णु प्रसाद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया है। इस कदम को राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह केवल एक विधायक का पार्टी बदलना नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय असंतोष, राजनीतिक रणनीति और भविष्य की चुनावी संभावनाओं से भी जुड़ा हुआ है।

कोलकाता स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और उद्योग मंत्री शशि पांजा ने बिष्णु प्रसाद शर्मा को पार्टी का झंडा सौंपकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि शर्मा के शामिल होने से उत्तर बंगाल और विशेष रूप से दार्जिलिंग और कुर्सियांग क्षेत्र में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी।

पार्टी में शामिल होने के बाद बिष्णु प्रसाद शर्मा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने अपने गोरखा समुदाय के लोगों की उम्मीदों और विश्वास के आधार पर चुनाव जीता था, लेकिन भाजपा के झूठे वादों और निष्क्रियता के कारण वे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपेक्षित कार्य नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें विकास और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए चुना था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। शर्मा ने यह भी कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उनके क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं हैं, और यदि किसी पार्टी में रहकर वे उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए पार्टी बदलना एक आवश्यक और नैतिक निर्णय था।

बिष्णु प्रसाद शर्मा लंबे समय से अलग गोरखालैंड राज्य की मांग के समर्थक रहे हैं। यह मुद्दा उत्तर बंगाल की राजनीति का एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय रहा है, और गोरखा समुदाय के बीच इस मांग को लेकर गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। शर्मा ने कई बार सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को उठाया और भाजपा नेतृत्व से इस दिशा में ठोस पहल करने की मांग की। जब उन्हें लगा कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, तो उन्होंने खुलकर पार्टी के खिलाफ असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया।

उनकी नाराजगी केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किए और पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए। अंततः यही असंतोष उनके भाजपा से अलग होने का कारण बना। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा से बगावत करते हुए दार्जिलिंग सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उन्होंने खुद को 'धरती का बेटा' बताते हुए जनता के बीच समर्थन मांगा, लेकिन उन्हें उस चुनाव में सफलता नहीं मिली और भाजपा के उम्मीदवार राजू बिस्टा ने जीत हासिल की।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शर्मा का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इससे न केवल भाजपा को उत्तर बंगाल में राजनीतिक नुकसान हो सकता है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस को गोरखा समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर भी मिल सकता है। उत्तर बंगाल का क्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील रहा है और यहां की क्षेत्रीय पहचान और स्वायत्तता से जुड़े मुद्दे चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों और समुदाय आधारित राजनीति का महत्व कितना अधिक है। राजनीतिक दल लगातार ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार हो और जो चुनावों में पार्टी को लाभ पहुंचा सकें। शर्मा के इस निर्णय को भी इसी रणनीति के तहत देखा जा रहा है।

तृणमूल कांग्रेस के लिए यह कदम एक बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पार्टी को उत्तर बंगाल में अपने संगठन को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। वहीं भाजपा के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि उसे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिष्णु प्रसाद शर्मा का यह निर्णय उनके राजनीतिक भविष्य और क्षेत्र की राजनीति पर क्या प्रभाव डालता है। यह घटना न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बना सकती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं के निर्णय और उनकी प्राथमिकताएं किस प्रकार राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती हैं।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

अपराध की मंशा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करना, जिसमें 'बलात्कार के प्रयास' की परिभाषा बदल दी गई थी, केवल एक कानूनी सुधार मात्र नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह न्यायिक संवेदनशीलता और गंभीर मामलों मे न्यायिक दृष्टि की स्पष्टता की पुनः पुष्टि भी है। सर्वोच्च अदालत ने पॉक्सो एक्ट के साथ ही धारा 376 आईपीसी के तहत आरोप बहाल करके, इस बात पर भी बल दिया कि अपराध के इरादे को, प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कमतर नहीं माना जा सकता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस बाबत जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर तल्ख प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं, जिसे किसी सभ्य समाज की मान्यताओं के प्रतिकूल माना गया था। दरअसल, हाई कोर्ट ने माना था कि एक नाबालिग के उरोज पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी ढीली करना और उसे घसीटकर ले जाने का प्रयास दुराचार की तैयारी थी, न कि बलात्कार का प्रयास, क्योंकि इसमें अपराध की दिशा में कोई सीधा कदम नहीं उठाया गया था। स्वाभाविक रूप से इस तरह की संकीर्ण व्याख्या के खिलाफ समाज में प्रतिक्रिया होनी ही थी। कहीं न कहीं इस तंग व्याख्या से अपराधी के जघन्य इरादे और प्रयास की अवधारणा को कमजोर करने का जोखिम भी था। निस्संदेह, इस तरह की व्याख्या से महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद ही होते। जाहिर है इस तरह की सोच कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह सुखद ही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संकीर्ण व्याख्या वाले मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सार्थक हस्तक्षेप किया है। दरअसल, आपराधिक कानून में, प्रयास तब माना जाता है, जब किसी अपराध की तैयारी उस कृत्य को अंजाम देने में बदल जाती है। जो कि इच्छित अपराध के निकट होती है। इस मामले में आरोप- शारीरिक छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने और जबरन घसीटना, यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न की ओर एक सुनियोजित कदम की पुष्टि कर देते हैं। जिसे केवल पीड़िता के करुण क्रंदन सुनने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के हस्तक्षेप से ही रोका गया।

निस्संदेह, इसके विपरीत मानना यौन हिंसा की वास्तविकताओं और नाबालिगों की असुरक्षा को अनदेखा करना ही होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह फैसला आरोपों की गंभीरता की पुष्टि करता है। ताकि पूर्व सुनवाई में साक्ष्यों की उचित संदर्भ में जांच की जा सके। ऐसे वक्त में जब देश की कई अदालतों के लैंगिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना हो रही थी, यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि कानूनी तर्क को संवैधानिक मूल्यों को बनाये भी रखना चाहिए। निर्विवाद रूप से, जिनका उद्देश्य किसी सभ्य समाज में नागरिकों को आसन्न खतरे से भी बचाना ही होता है। बहरहाल, इस प्रकरण में यह सार्थक हस्तक्षेप इस बात की पुष्टि भी करता है कि कानून बच्चों को न केवल अपराधियों द्वारा अंजाम दिए जा चुके अपराधों से बल्कि भविष्य में आसन्न अपराधों से भी बचाता है। इस प्रकरण के बाद कहा जा सकता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल न्यायिक जवाबदेही में संतुलन स्थापित किया, बल्कि आखिरकार आम लोगों के विश्वास को भी बहाल किया है। निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया को न्याय के नैसर्गिक नियमों के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। जो देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम आदमी के भरोसे को बढ़ाने वाला भी होगा। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जब व्यक्ति समाज में चारों तरफ से व सिस्टम से निराश हो जाता है तो न्याय की चौखट उसकी उम्मीद की अंतिम किरण होती है। यदि वहां से भी संवेदनशील पहल होती न नजर आए तो उसका निराश होना स्वाभाविक ही है। सुप्रीम कोर्ट की इस संवेदनशील पहल ने सही मायने में उस आदमी के भरोसे को ही संबल दिया है। जिसका स्वागत किया जाना जरूरी भी है।

पारिवारिक पाठशाला डाल सकती है नशाखोरी पर नकेल

> "नशे के अधिकांश मामले तनाव, चिंता या भावनात्मक अस्थिरता से जुड़े होते हैं। ऐसे में योग और प्राणायाम को केवल व्यायाम समझना भूल होगी। ये मन को स्थिर करने वाले वैज्ञानिक अभ्यास हैं, जो तनाव को कम करते हैं और आत्म-नियंत्रण को बढ़ाते हैं।

आज के समय में, नशा सबसे खतरनाक चुनौतियों में से एक बन गया है। ऐसी चुनौती जिसे केवल स्वास्थ्य समस्या मानकर हल नहीं किया जा सकता। नशा व्यक्ति की इच्छा शक्ति को खोखला करता है, परिवारों को अस्थिर करता है और समाज के भविष्य को कमजोर बनाता है। यह समस्या जिस गति से फैल रही है, उसे रोकने के लिए पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं होंगे। आवश्यक है कि हम इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से समझें और सामूहिक स्तर पर हस्तक्षेप करें।

नशा मुक्ति की राह दवाइयों और पुनर्वास केंद्रों से होकर जरूर गुजरती है, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं गहरी—परिवार, समाज और शिक्षा के त्रिभुज में होती है। यही त्रिकोण तय करता है कि नई पीढ़ी किस दिशा में जाएगी, निर्माण की ओर या विनाश की ओर। हर समाज की पहली पाठशाला परिवार ही होता है। बच्चों में जो आदतें, स्वभाव और भावनात्मक धारणा विकसित होती है, उसकी नींव घर में ही रखी जाती है। इसलिए नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हस्तक्षेप परिवार में ही संभव है।

घर में मौजूद कलह, निरंतर दबाव या अभिभावकों की भावनात्मक दूरी, ये तीनों बच्चे को मानसिक तौर पर कमजोर बनाते हैं। यह कमजोरी ही उन्हें गलत संगत की ओर धकेल सकती है। इसके विपरीत, ऐसा परिवार जो संवाद को महत्व देता हो, अनुशासन को सहजता से लागू करता हो और जहां बच्चों को समझने की कोशिश हो, वहां बच्चों का मनोबल मजबूत होता है। इसलिए नीतियों और योजनाओं में परिवार-केंद्रित हस्तक्षेप, जैसे पैरेंटिंग वर्कशॉप, पारिवारिक परामर्श, तनाव प्रबंधन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह सच है कि आज का बच्चा अभूतपूर्व दबावों के बीच बढ़ रहा है। प्रतिस्पर्धा का दायरा बढ़ गया है, सोशल मीडिया ने तुलना की संस्कृति को और गहरा कर दिया है और उपलब्धि को ही मूल्यांकन का मानक बना दिया है। जब एक किशोर यह महसूस करता है कि वह 'पीछे छूट रहा है', तब उसके भीतर अधूरापन और बेचैनी जन्म लेती है। यही मानसिक असुरक्षा उसे गलत आदतों की तरफ खींच सकती है। बच्चों को वह वातावरण देना होगा, जहां वे सुरक्षित महसूस करें, अपनी अभिव्यक्ति के लिए जगह पाएं और रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेकर ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें। सामुदायिक खेल मैदान, कला-संगीत केंद्र, वाद-विवाद और विज्ञान मंच—ये केवल गतिविधियां नहीं, बल्कि एक स्वस्थ समाज की सुरक्षा दीवारें हैं। वे बच्चों को व्यस्त रखते हैं, उनकी रुचियों को पहचानते हैं और उन्हें अर्थपूर्ण गतिविधियों से जोड़ते हैं।

नशे के अधिकांश मामले तनाव, चिंता या भावनात्मक अस्थिरता से जुड़े होते हैं। ऐसे में योग और प्राणायाम को केवल व्यायाम समझना भूल होगी। ये मन को स्थिर करने वाले वैज्ञानिक अभ्यास हैं, जो तनाव को कम करते हैं और आत्म-नियंत्रण को बढ़ाते हैं। स्कूलों और समुदायों में दिन की शुरुआत प्राणायाम से करना बच्चों में मानसिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है। एक शांत मन न केवल बेहतर निर्णय लेता है, बल्कि गलत आकर्षणों के प्रभाव से भी बचा रहता है। मानसिक स्वास्थ्य को हमारा समाज अब भी पर्याप्त महत्व नहीं देता। परिणामस्वरूप, बच्चे अपनी भावनाओं को दबाते हैं। अतः मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों में केंद्रीय स्थान मिलना चाहिए।

शिक्षा का उद्देश्य जब केवल नौकरी तक सीमित हो जाता है, तब बच्चों पर दबाव बढ़ना लाज़िमी है। शिक्षा हमेशा से मानवता, विवेक और चरित्र-निर्माण का आधार रही है। ऐसे विद्यार्थी जिनके भीतर उद्देश्य की स्पष्टता हो, जिनकी शिक्षा रुचि आधारित हो और जिनका आत्मविश्वास मजबूत हो, वे गलत आदतों की ओर कम आकर्षित होते हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली को ऐसे परिवेश पर जोर देना चाहिए जहां प्रतियोगिता की जगह सहयोग हो, अंक की जगह व्यक्तित्व विकास को प्राथमिकता मिले और बच्चों को विकल्पों, रुचियों और कौशलों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाए। शिक्षक और अभिभावक को समझना होगा कि दबाव सफलता नहीं, बल्कि यह केवल बेचैनी पैदा करता है।

नशे में फंसा व्यक्ति अपराधी नहीं, एक पीड़ित है। परिवार, शिक्षकों और समाज को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्तियों के लिए खुला, सम्मानजनक और सहयोगी वातावरण बनाएं। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके लिए रास्ता बंद नहीं हुआ है, तभी वह नशा छोड़ने की दिशा में पहला कदम उठा पाता है। नशा केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना की परीक्षा भी है। परिवार का वातावरण, समाज का चरित्र, शिक्षा की दिशा, मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक गतिविधियों का प्रोत्साहन, ये सभी मिलकर ही इस चुनौती को परास्त कर सकते हैं।

नशा मुक्ति एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक सामाजिक संकल्प है। यदि हम सामूहिक रूप से इस दिशा में आगे बढ़ें तो आने वाली पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से मुक्त कर एक सशक्त, संवेदनशील और जागरूक समाज की ओर ले जा सकते हैं।

प्रेरणा

सत्य की अग्नि में तपता एक जीवन

शिवरात्रि की वह शांत, गंभीर और रहस्यमयी रात केवल एक धार्मिक अनुष्ठान की रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मनुष्य के भीतर क्रांति की शुरुआत थी, जो आगे चलकर सत्य का एक महान साधक बना। वह युवा साधक थे महर्षि दयानंद सरस्वती। मंदिर के भीतर दीपक की लौ स्थिर थी, वातावरण में मंत्रों की ध्वनि की स्मृति अभी भी तैर रही थी, और भक्तजन थककर विश्राम में जा चुके थे। परंतु उस युवा के भीतर जागरण केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था। उसी जागरण के बीच उनकी दृष्टि शिवलिंग के समीप रखे प्रसाद पर गई, जिसे एक छोटा सा चूहा निर्भय होकर खा रहा था। वह दृश्य साधारण था, पर उसका प्रभाव असाधारण था। उस क्षण उनके भीतर एक मौन प्रश्न जन्मा—यदि यह शिवलिंग स्वयं में परमशक्ति का प्रतीक है, यदि यह वास्तव में सर्वशक्तिमान सत्ता का स्वरूप है, तो यह स्वयं को एक छोटे से जीव से क्यों नहीं बचा सकता? यह प्रश्न श्रद्धा का विरोध नहीं था, बल्कि श्रद्धा की गहराई को समझने का प्रयास था। उस रात उनके भीतर पहली बार यह अनुभूति हुई कि सत्य केवल परंपरा में नहीं, बल्कि तर्क, अनुभव और आत्मबोध में निहित होता है। अधिकांश लोग ऐसे दृश्य को देखकर अनदेखा कर देते, या उसे अपनी आस्था के अनुरूप उचित ठहरा देते। परंतु उनका मन संतुष्ट होने वाला नहीं था। उनके भीतर सत्य की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। यह ज्वाला उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। उन्होंने समझ लिया कि यदि जीवन का उद्देश्य केवल परंपराओं का पालन करना है, तो वह जीवन अधूरा है। सच्चा जीवन वह है, जिसमें मनुष्य स्वयं सत्य का अनुभव करे, उसे जाने और उसे जिए। इस प्रश्न ने उनके भीतर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने सांसारिक सुख, परिवार की सुरक्षा और सुविधा को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सत्य की खोज आराम की छाया में नहीं, बल्कि संघर्ष की धूप में होती है। उन्होंने भारत के गांवों, नगरों, पर्वतों और आश्रमों में वर्षों तक भ्रमण किया। उन्होंने अनेक विद्वानों, साधुओं और पंडितों से संवाद किया। वे जहां भी गए, वहां उन्होंने केवल एक ही वस्तु की खोज की—सत्य। परंतु उनकी खोज आसान नहीं थी। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग धर्म के नाम पर केवल बाहरी कर्मकांडों में उलझे हुए हैं। वहां श्रद्धा थी, पर समझ नहीं थी; वहां परंपरा थी, पर विवेक नहीं था। उन्होंने यह भी देखा कि कई लोग धर्म का उपयोग ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि भय और अंधविश्वास को बनाए रखने के लिए कर रहे थे। यह देखकर उनका मन व्यथित हुआ, पर उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्य को केवल खोजेंगे ही नहीं, बल्कि उसे समाज के सामने भी लाएंगे। उनकी विशेषता यह थी कि वे केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करते थे। वे प्रश्न उठाते थे, पर उनके प्रश्न विद्रोह के नहीं, जागृति के प्रश्न थे। वे हर बात को प्रमाण और तर्क की कसौटी पर परखते थे। उनका विश्वास था कि जो सत्य है, वह प्रश्नों से डरता नहीं, बल्कि प्रश्नों से और अधिक स्पष्ट होता है। एक बार एक सभा में उनसे पूछा गया कि यदि वे परंपराओं पर इस प्रकार प्रश्न उठाते रहेंगे, तो समाज में अशांति फैल जाएगी। यह एक गंभीर प्रश्न था, क्योंकि समाज अक्सर परिवर्तन से डरता है। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया कि अशांति प्रश्नों से नहीं, बल्कि असत्य से चिपके रहने से फैलती है। सत्य कभी समाज को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करता है। यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सार था। वे जानते थे कि सत्य कभी विनाश का कारण नहीं बनता, बल्कि वह निर्माण की नींव होता है। असत्य ही वह शक्ति है, जो मनुष्य को अज्ञान में बांधती है और उसे उसकी वास्तविक क्षमता से दूर रखती है। उन्होंने लोगों को वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया, पर उनका उद्देश्य केवल प्राचीन ग्रंथों का अनुसरण करना नहीं था। उनका उद्देश्य ज्ञान, नैतिकता और एकेश्वरवाद की उस मूल भावना को पुनर्जीवित करना था, जो वेदों का सार है। उन्होंने समझाया कि धर्म का वास्तविक अर्थ बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सत्य का अनुभव है। उन्होंने कहा कि ईश्वर किसी मूर्ति में सीमित नहीं है, बल्कि वह समस्त सृष्टि में व्याप्त है। उनकी शिक्षाओं ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि श्रद्धा और विवेक एक-द कैसे विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। सच्ची श्रद्धा वही है, जो विवेक के साथ जुड़ी हो। बिना विवेक की श्रद्धा अंधविश्वास बन जाती है, और बिना श्रद्धा का विवेक शुष्क हो जाता है। उन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जो तर्कसंगत, नैतिक और सार्वभौमिक था। इसी उद्देश्य से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसने समाज में शिक्षा, समानता और सत्य के प्रसार का कार्य किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य की खोज कभी आसान नहीं होती। इसके लिए साहस चाहिए, क्योंकि सत्य अक्सर हमारी सुविधाओं और हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है। परंतु जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वह अंततः स्वयं को और समाज को प्रकाश की ओर ले जाता है। सत्य एक दर्पण की तरह होता है—वह हमें हमारी वास्तविकता दिखाता है, चाहे वह सुखद हो या असुखद।

शिवरात्रि की उस रात एक चूहे द्वारा खाया गया प्रसाद केवल एक छोटी सी घटना थी, पर उसने एक महान परिवर्तन की नींव रखी। वह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन के सबसे साधारण क्षण ही सबसे गहरे सत्य को प्रकट करते हैं। प्रश्न पूछना अधर्म नहीं है; प्रश्न पूछना ही सच्चे धर्म की शुरुआत है। क्योंकि प्रश्न ही वह द्वार है, जिससे होकर ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश करता है।

महर्षि दयानंद का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी केवल इसलिए किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह परंपरा है। हमें उसे समझना चाहिए, परखना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह ही वह मार्ग है, जो हमें वास्तविक स्वतंत्रता और आत्मज्ञान तक ले जाता है। सत्य वह अग्नि है, जिसमें तपकर मनुष्य केवल ज्ञानी नहीं, बल्कि जागृत बनता है।

आखिर जातीय, धार्मिक व क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर कैसे पाएंगे काबू?

दुनिया को 'वसुधैव कुटुम्बकम' का संदेश देने वाला जनतांत्रिक भारत आज जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली 'ब्रितानी' व 'मुगलिया' सियासत के चक्रव्यूह में फंसा पड़ा है। इससे 'सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया' जैसी उसकी उदात्त सोच भी कठघरे में खड़ी प्रतीत हो रही है। यहां की प्रतिभाशाली और प्रभुत्ववाली सामान्य जातियों (सवर्णों) के खिलाफ देश में जो लक्षित पूर्वाग्रही राजनीति कथित दलित-ओबीसी नेताओं के द्वारा की जा रही है, उससे देश व समाज के सामने विभिन्न नैतिक व वैधानिक सवाल उठ खड़े हुए हैं! हैरत की बात है कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के नारे लगाए जाते हैं। कहीं जाति, कहीं धर्म और कहीं भाषा-क्षेत्र के नाम पर लोगों के उत्पीड़न हो रहे हैं। वहीं कहीं सामाजिक न्याय आधारित आरक्षण और साम्प्रदायिक सोच आधारित अल्पसंख्यकवाद के अव्यवहारिक पहलुओं को हवा देकर आमलोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। आलम यह है कि ऐसे करने वाले नेता, उनके हमकदम मस्त हैं, जबकि आमलोग त्रस्त हैं।

हद तो यह कि हमारे संविधान के संरक्षक अनर्गल दलीलें देकर मानवता की गला घोंट रहे हैं, जबकि यही प्रवृत्ति कतिपय संविधान निर्माताओं में भी दिखी थी। वहीं आज के कथित रखवाले जन्मांध 'धृतराष्ट्र' की भूमिका निभा रहे हैं इनके जैसे ही नेताओं की खामोशी से जहां 1947 में साम्प्रदायिक विभाजन हुआ, वहीं इनके षडयंत्र से आजादी के बाद से ही जातीय, क्षेत्रीय व नवसंप्रदायिक विभाजन की प्रवृत्ति हावी होती दिख रही है, जो आज भी जारी है। ऐसे में एक और महाभारत छिड़ना तय है। पुनः विभाजन होना तय है। इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी महाभारत होता है तो संख्याबल पर बुद्धिबल ही भारी पड़ती है और आगे भी यही होगा।

कहना न होगा कि कोई भी लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता व बन्धुत्व की बुनियाद पर मजबूत होता है, लेकिन जब बहुमत की सियासी शरारत शुरू हो जाए और वामपंथियों के वर्गवादी राजनीति को मात देने के लिए पूंजीवादी प्रभाव वश जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की सियासत तेज हो जाए तो देर सबेर राष्ट्र राज्य का बिखरना तय होता है। इसलिए इनसे जुड़े राजनीतिक हथकंडों और उन्हें शह देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को यदि समय रहते ही नहीं बदला गया तो बाद में इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होगा! ऐसा इसलिए कि जातिवादी कैंसर, सांप्रदायिक एड्स और क्षेत्रवादी तपेदिक (टीबी) से शांतिप्रिय व सहनशील भारतीय समाज सदियों से ग्रसित है, लेकिन बीती सदी में इन्हें एक कानूनी स्वरूप देकर स्थिति को जटिल चुनौती बना दी गई है। किसी समूह के इतिहास को साक्षी मानकर उनके वर्तमान को रौंदने की जो सियासी प्रवृत्ति भारत में हावी है, उससे सामान्य व कथित सवर्ण जातियों में भारी रोष व्याप्त है। इसलिए समावेशी संवैधानिक प्रावधानों, हिंसा-प्रतिहिंसा पर समान कानूनी सख्ती और सामाजिक जागरूकता के संयोजन से ही अब इस जटिल स्थिति से निबटना संभव है, लेकिन हमारी सियासी सोच इसके विपरीत है। वह आज भी विदेशी फूट डालो, शासन करो पर केंद्रित है। लिहाजा, कतिपय कानूनी उपाय अपेक्षित हैं। पहले चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों और नेताओं के भाषणों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए, तथा IPC की धारा 153A (समूहों के बीच शत्रुता फैलाना), 295A (धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाना) और प्रतिनिधित्व ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123(3) के तहत तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाकर, जैसे नफरत भरी भाषा पर त्वरित गिरफ्तारी और पार्टी मान्यता रद्द करने का प्रावधान जोड़ना, ऐसे हथकंडों पर अंकुश लग सकता है।

लगे हाथ संस्थागत सुधार के लिए भी समवेत कदम उठाने होंगे। खासकर राजनीतिक दलों को टिकट वितरण और मंत्रिमंडल गठन में जाति-धर्म आधारित समीकरणों से ऊपर उठना होगा, जबकि चुनाव सुधारों के जरिए आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने वाले एआई-जनरेटेड कंटेंट और प्रचार पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए, जैसा कि हालिया चुनावी दौर में देखा गया।

वहीं, सामाजिक व शैक्षिक प्रयास से भी इस स्थिति से निबटा जा सकता है। विशेष कर शिक्षा प्रणाली में समावेशी पाठ्यक्रम लागू कर नई पीढ़ी को जाति-धर्म से ऊपर उठने की प्रेरणा दी जाए, तथा धर्मगुरुओं और सामाजिक नेताओं पर निगरानी रखी जाए। मतदाताओं को जागरूक अभियान चलाकर वोटिंग में योग्यता और नीतियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि विभाजनकारी रणनीतियां अप्रभावी हो जाएं।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी दो टूक शब्दों में कहा है कि राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि गाइडलाइन बनने पर भी उनका पालन कौन करेगा, क्योंकि भाषण विचारों से उत्पन्न होते हैं और इन्हें नियंत्रित करना कठिन है। कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, साथ ही राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर भी इशारा किया।

जस्टिस बागची ने कहा कि हेट स्पीच पर पहले से सिद्धांत बने हैं, लेकिन आदेश लागू करना चुनौतीपूर्ण है। कोर्ट ने जहरीले सामाजिक माहौल की चिंता स्वीकारी, लेकिन चुनिंदा नेताओं को टारगेट करने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की नसीहत दी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के भाषणों को हेट स्पीच से रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने की मांग की थी।

याचिका में दो प्रमुख दिशानिर्देश मांगे गए थे। पहला, संवैधानिक पदों या सार्वजनिक कार्यालयों पर बैठे लोगों के भाषण संवैधानिक नैतिकता के अधीन हों और दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। दूसरा, इन पदधारकों के सार्वजनिक भाषणों को नियंत्रित करने के लिए बिना पूर्व सेंसरशिप के दिशानिर्देश जारी किए जाएं, ताकि संवैधानिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित हो।

अभियान

सालासर धाम: जहां दाढ़ी-मूंछ वाले बालाजी आज भी सुनते हैं हर भक्त की पुकार

राजस्थान की पवित्र धरती पर स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का जीवंत केंद्र है। यह स्थान अपने अनूठे स्वरूप और चमत्कारी महिमा के कारण पूरे भारत में विशेष पहचान रखता है। यहां विराजमान बालाजी का स्वरूप अन्य सभी हनुमान मंदिरों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहां भगवान हनुमान दाढ़ी और मूंछों के साथ विराजमान हैं। यह स्वरूप न केवल अद्वितीय है, बल्कि भक्तों के लिए विशेष श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र भी है। यही कारण है कि इस मंदिर को सिद्धपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है, जहां सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना सुनी जाती है।

जब कोई श्रद्धालु मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करता है, तो उसे सबसे पहले एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। प्रवेश करते ही बाईं ओर दीवार पर सिंदूरी रंग में अंकित हनुमान जी की छवि भक्तों का स्वागत करती है। श्रद्धालु इस छवि के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और सिक्का चिपकाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच एक मौन संवाद होता है। इस क्षण भक्त अपने मन की इच्छाओं, दुखों और आशाओं को बालाजी के चरणों में समर्पित कर देता है।

मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण में गूंजती "जय श्रीराम" और "राम राम" की ध्वनि भक्तों के मन को भक्ति से भर देती है। दीवारों पर अंकित हनुमान जी की प्राचीन छवियां और धार्मिक प्रतीक मंदिर की पवित्रता को और अधिक बढ़ा देते हैं। जैसे-जैसे भक्त मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, उनके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वे उस दिव्य स्वरूप के दर्शन के निकट पहुंच रहे होते हैं, जिसके लिए वे दूर-दूर से आए हैं।

मुख्य गर्भगृह में विराजमान बालाजी का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य है। सिंदूरी रंग में सजे उनके मुखमंडल पर दाढ़ी और मूंछें स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो उनके इस स्वरूप को अद्वितीय बनाती हैं। उनके ऊपर स्वर्ण छत्र सजा हुआ है और बगल में स्वर्ण गदा विराजमान है। चारों ओर स्वर्ण और रजत की कलाकृतियां उनकी दिव्यता को और अधिक उजागर करती हैं। इस स्वरूप के दर्शन करते ही भक्तों के मन में श्रद्धा और विश्वास की भावना और भी गहरी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो स्वयं बालाजी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों।

मंदिर में दर्शन की व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित है। भक्त कतारों में खड़े होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और कुछ सीढ़ियां उतरकर बालाजी के समीप पहुंचते हैं। उस क्षण भक्त अपने मन की बातें भगवान से कहते हैं। कोई अपनी पीड़ा सुनाता है, कोई अपनी खुशी साझा करता है, तो कोई अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगता है। यह संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में होता है। दर्शन के बाद भक्त कुछ सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके मन में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है।

सालासर बालाजी धाम में नारियल बांधकर मन्नत मांगने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और लोकप्रिय है। भक्त मंदिर परिसर में नारियल बांधते हैं और विश्वास रखते हैं कि बालाजी उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वे पुनः मंदिर आकर नारियल चढ़ाते हैं और भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। मंदिर में स्थित विशाल हवन कुंड में इन नारियलों की आहुति दी जाती है और उसकी भस्म को भक्त अपने साथ प्रसाद स्वरूप ले जाते हैं। यह भभूति उनके लिए केवल राख नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक होती है।

यहां गदा अर्पित करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। भक्त सिंदूरी रंग की गदा अर्पित करते हैं और "जय श्रीराम" का जयकारा लगाते हैं। यह परंपरा भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से गदा अर्पित करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं।

इस मंदिर का इतिहास लगभग ढाई सौ वर्ष पुराना है। सन 1755 में नागौर जिले के असोटा गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसे भूमि के भीतर से हनुमान जी की एक अद्भुत मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें दाढ़ी और मूंछें थीं। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। उसी समय संत मोहनदास जी को स्वप्न में आदेश मिला कि इस मूर्ति को सालासर में स्थापित किया जाए। उन्होंने इस दिव्य आदेश का पालन किया और श्रावण शुक्ल पक्ष के शनिवार को मूर्ति की स्थापना सालासर में की गई।

सन 1759 में इस मंदिर का भव्य निर्माण किया गया। फतेहपुर के कुशल कारीगरों ने अपनी कला और मेहनत से इस मंदिर को एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया। संत मोहनदास जी द्वारा प्रज्वलित की गई अखंड ज्योति आज भी निरंतर जल रही है। यह ज्योति केवल एक दीपक नहीं, बल्कि भक्तों के विश्वास और आस्था का प्रतीक है, जो सदियों से निरंतर जलती आ रही है। जब मूर्ति की स्थापना हुई थी, तब उस किसान की पत्नी ने बाजरे के चूरमे का भोग लगाया था। तभी से चूरमे का भोग बालाजी को अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी जारी है। मंदिर परिसर में भक्तों को प्रसाद के रूप में बूंदी के लड्डू, चूरमा और अन्य पारंपरिक मिठाइयां मिलती हैं, जिन्हें वे अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं।

मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। दर्शन का क्रम सुबह से रात तक चलता है और दिन में तीन बार आरती होती है। आरती के समय मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और भावनात्मक हो जाता है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की श्रद्धा मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है।

हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहां विशाल मेले आयोजित होते हैं। इन अवसरों पर लाखों भक्त सालासर धाम पहुंचते हैं और बालाजी के दर्शन करते हैं। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है, जहां हर ओर केवल भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का प्रवाह दिखाई देता है।

सालासर बालाजी धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास का वह केंद्र है, जहां भक्त और भगवान का संबंध सीधे हृदय से जुड़ता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई आशा और ऊर्जा का अनुभव करता है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि सच्ची आस्था में अपार शक्ति होती है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तो उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है।

आज भी लाखों श्रद्धालु इस पवित्र धाम में आकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते हैं और एक नई आशा के साथ लौटते हैं। सालासर बालाजी का यह दिव्य दरबार केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और चमत्कार का जीवंत प्रतीक है, जहां भगवान और भक्त के बीच का संबंध सदा अटूट बना रहता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

कृषि में डिजिटल क्रांति की नई उड़ान : एग्रीस्टेक योजना के तहत AI कॉल से होगा किसानों के डेटा का सत्यापन

वडोदरा। भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। बदलते समय के साथ खेती में भी तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसानों को अधिक सटीक जानकारी, बेहतर योजनाओं का लाभ और पारदर्शी व्यवस्था मिल सके। इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'एग्रीस्टेक' योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम को और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों से ऑटोमेटेड फोन कॉल और WhatsApp संदेश के माध्यम से संपर्क किया जाएगा।

यह पहल कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार का एक नया अध्याय खोल रही है। अब तक फसलों का सर्वे पारंपरिक तरीकों से किया जाता था, जिसमें मानवीय त्रुटियों की संभावना बनी रहती थी। लेकिन एग्रीस्टेक योजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम लागू होने के बाद सर्वेयर खेतों में जाकर मोबाइल ऐप की सहायता से फसलों की तस्वीरें लेते हैं और उन्हें जियो-टैग के साथ रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रक्रिया से फसल की वास्तविक स्थिति, क्षेत्रफल और प्रकार का सटीक डेटा तैयार होता है। अब इस डेटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित बॉट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जो किसानों से सीधे संपर्क कर जानकारी की पुष्टि करेगा। इस नई प्रणाली के तहत जिन किसानों का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा हो चुका है, उन्हें एक ऑटोमेटेड वॉइस कॉल या WhatsApp संदेश प्राप्त होगा। इस कॉल या संदेश में किसानों से उनकी फसल, खेत के आकार और अन्य संबंधित जानकारी की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी और इसमें किसी व्यक्ति का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि डेटा की सटीकता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि डेटा को पूरी तरह विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना है। जब सरकार के पास किसानों और उनकी फसलों का सटीक डेटा उपलब्ध होगा, तब योजनाओं का लाभ सही किसानों तक तेजी से और बिना किसी बाधा के पहुंचाया जा सकेगा। इससे फसल बीमा, सब्सिडी, मुआवजा और अन्य सरकारी सहायता योजनाओं का वितरण अधिक प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से किया जा सकेगा। वडोदरा के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर (एक्सटेंशन) ने किसानों से अपील की है कि वे इन कॉल और संदेशों को गंभीरता से लें और सही जानकारी प्रदान करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया सरकारी पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य केवल डेटा सत्यापन करना है। किसानों को किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत जानकारी से दूर रहने की सलाह दी गई है, ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कॉल पूरी तरह सुरक्षित और स्वचालित होगी। इस प्रक्रिया के दौरान किसानों से किसी प्रकार का OTP, बैंक विवरण या निजी गोपनीय जानकारी नहीं मांगी जाएगी। यह विशेष रूप से इसलिए सुनिश्चित किया गया है, ताकि साइबर धोखाधड़ी की किसी भी संभावना को रोका जा सके और किसानों का विश्वास बना रहे। यदि किसानों को कोई संदिग्ध कॉल प्राप्त होती है, तो उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

एग्रीस्टेक योजना का व्यापक उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से सरकार एक मजबूत और विश्वसनीय कृषि डेटाबेस तैयार कर रही है, जिससे भविष्य में कृषि नीति निर्माण अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकेगा। जब सरकार के पास सटीक डेटा होगा, तब सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित किसानों की पहचान तेजी से की जा सकेगी और उन्हें समय पर सहायता प्रदान की जा सकेगी। इस योजना से किसानों को कई अन्य लाभ भी मिलने की संभावना है। उदाहरण के लिए, डिजिटल डेटा के आधार पर किसानों को उनकी फसल के अनुसार उचित सलाह, बाजार की जानकारी और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

एआई में आत्मनिर्भरता की ओर भारत का निर्णायक कदम, जीत अडाणी ने बताया भविष्य का रोडमैप

जीत अडाणी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि देश को आयात पर निर्भर रहने की बजाय स्वदेशी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। उनका मानना है कि एआई अब केवल तकनीकी विकास का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक नेतृत्व का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। यदि भारत को आने वाले दशकों में विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल होना है, तो उसे अपने संसाधनों, ऊर्जा क्षमता और डिजिटल संरचना को मजबूत बनाकर आत्मनिर्भर एआई इकोसिस्टम तैयार करना होगा।

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई के क्षेत्र में नेतृत्व केवल सॉफ्टवेयर या एल्गोरिद्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए मजबूत ऊर्जा ढांचा, विशाल कंप्यूटिंग क्षमता और सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। उन्होंने इन तीनों तत्वों को आधुनिक राष्ट्र-निर्माण के प्रमुख स्तंभ बताया और कहा कि जब तक भारत इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक वह एआई की वैश्विक दौड़ में स्थायी रूप से अग्रणी स्थान हासिल नहीं कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विश्व के प्रमुख देश एआई को अपनी राष्ट्रीय रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बना रहे हैं। एआई का उपयोग रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, परिवहन और औद्योगिक उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह केवल एआई तकनीक का उपभोक्ता बनकर न रहे, बल्कि इसका निर्माता और नवप्रवर्तक भी बने। इसके लिए देश को अपने डेटा, कंप्यूटिंग संसाधनों और ऊर्जा स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना होगा।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उन्होंने हरित ऊर्जा आधारित संप्रभु एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 100 अरब डॉलर के निवेश की योजना की जानकारी दी। यह निवेश केवल डेटा सेंटर के निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और एकीकृत डिजिटल नेटवर्क का विकास शामिल होगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में एक ऐसा एआई इकोसिस्टम तैयार करना है, जो पूरी तरह स्वदेशी संसाधनों पर आधारित हो और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत लगभग 5 गीगावाट क्षमता वाला समेकित ऊर्जा और कंप्यूटिंग नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जो देश की बढ़ती डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह ऊर्जा ढांचा पूरी तरह हरित ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस प्रकार यह परियोजना न केवल तकनीकी बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला दशक 'इंटेलिजेंस सेंचुरी' के रूप में जाना जाएगा, जिसमें डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत का निर्धारण करेंगे। जिस देश के पास अधिक डेटा, मजबूत एल्गोरिद्म और उच्च कंप्यूटिंग क्षमता होगी, वही देश वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करेगा। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी डिजिटल और ऊर्जा संरचना को इस प्रकार विकसित करे, जिससे वह इस नई प्रतिस्पर्धा में पीछे न रह जाए।

सघन टिकट जांच अभियान में बिना टिकट यात्रिओं पर सख्त कार्रवाही

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा वैध यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने तथा बिना टिकट/अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरंतर गहन टिकट जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार के निर्देशन में आयोजित दिनांक 17.02.2026 को चलाए गए टिकट जांच अभियान में कुल 931 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 397 मामले बिना टिकट यात्रा के थे। जिसके फलस्वरूप यात्रियों से जुर्माने के रूप में कुल 5,82,750 की दंड राशि वसूल की गई।

यह उपलब्धि नियमित टिकट जांच व्यवस्था, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण में वृद्धि तथा वाणिज्य एवं टिकट जांच स्टाफ के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि यह सफलता बिना किसी विशेष फोर्ट्रेस, मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी-स्तरीय विशेष अभियान के, नियमित प्रवर्तन कार्यवाही के माध्यम से प्राप्त की गई है।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के उन्नत ए.सी. प्रतीक्षालय को मिला यात्रियों का जबरदस्त प्रतिसाद,100,000 से अधिक यात्रियों ने उठाया लाभ

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु आधुनिक वातानुकूलित (ए.सी.) प्रतीक्षालय को उन्नत एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसे यात्रियों का अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है।

यह ए.सी. प्रतीक्षालय 394 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थापित है। इसका संचालन मेसर्स क्वालिटी कैटरर्स, ईस्ट दिल्ली द्वारा अनुबंध के अंतर्गत किया जा रहा है। अनुबंध में प्रतीक्षालय का उन्नयन, रखरखाव, स्वच्छता, प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा संचालन तथा यात्रियों से निर्धारित उपयोग शुल्क का संग्रहण सम्मिलित है। दिनांक 26.11.2025 से 18.02.2026 की अवधि के दौरान 1,00,000 से अधिक यात्रियों ने ए.सी. प्रतीक्षालय की सुविधा का लाभ उठाया, जिससे लगभग 25,00,000/- की उपयोग शुल्क आय प्राप्त हुई है। यह आँकड़े इस सुविधा की लोकप्रियता एवं उपयोगिता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

ए.सी. वेटिंग हॉल में उपलब्ध प्रमुख सुविधाएँ

- कुल 250 यात्रियों की आरामदायक बैठने की क्षमता।
- पेयजल एवं रिफ्रेशमेंट स्टॉल, जहाँ हॉट एवं कोल्ड बेवरेज, स्नैक्स, लाइट मील, ब्रेकफ़ास्ट, डेज़र्ट एवं बेकरी आइटम्स उपलब्ध है जैसे- फ्लेवर्ड चाय/टी बैग चाय, कॉफी, सूप, लस्सी इडली-वड़ा सांभर, वेज बिरयानी, समोसा,कचौरी, वेज, पनीर, बर्गर आदि।
- सेल्फ-डिस्पेंसिंग मशीन के माध्यम से गैर-मादक पेय पदार्थों की उपलब्धता।
- यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल डेस्क सुविधा।
- समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, टॉयलेटरीज एवं ओटीसी दवाइयों की बिक्री।
- पुरुष एवं महिला यात्रियों के लिए पृथक एवं स्वच्छ शौचालय तथा स्नानघर की व्यवस्था।
- स्नानघर में गर्म पानी उपलब्ध कराने हेतु गीजर की सुविधा।
- मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए पर्याप्त चार्जिंग पॉइंट्स।

उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की दर सूची का वाणिज्य विभाग द्वारा सत्यापन किया गया है तथा इन्हें दरों के अनुरूप पाया गया है। इससे यात्रियों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्राप्त हो रही हैं।

अहमदाबाद मंडल यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा स्टेशन सुविधाओं के सतत उन्नयन की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

पश्चिम रेलवे ने मिशन जीरो स्क्रैप के तहत स्क्रैप बिक्री में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान स्क्रैप निपटान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि मिशन जीरो स्क्रैप के अंतर्गत पश्चिम रेलवे की अपने सभी प्रतिष्ठानों एवं इकाइयों को स्क्रैप-मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे ने 17 फरवरी, 2026 तक कुल 506.63 करोड़ रुपये की स्क्रैप बिक्री दर्ज की है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 470 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे ने यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष (2024–25) की तुलना में 5 सप्ताह पहले हासिल कर ली है। पिछले वर्ष यह उपलब्धि 21 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई थी।

यह उपलब्धि पश्चिम रेलवे के कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन, बेहतर हाउसकीपिंग तथा स्क्रैप सामग्री की समय पर पहचान एवं निपटान के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग के सतत प्रयासों को दर्शाती है।

वेरावल स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछुआरों के लिए एक्सेस पास की सुविधा लॉन्च होगी

एक्सेस पास मछुआरों को गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्याखेट के लिए आधिकारिक अनुमति देगा, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को मिलेगी गति

गुजरात में एक्सेस पास से मछुआरे बनेंगे सशक्त, निर्यात में होगी बढ़ोतरी

गांधीनगर : भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) नियमों को लागू करने और गहरे समुद्र में मत्स्याखेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह 20 फरवरी को वेरावल में विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास फ्रेमवर्क लॉन्च करेंगे। इस नए ढांचे से मछुआरों को गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्याखेट के लिए आधिकारिक अनुमति (एक्सेस पास) लेना आसान हो जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह पहल भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगी। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, तब एक्सेस पास की पहल परंपरागत और छोटे पैमाने के मछुआरों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) को सशक्त बनाएगी। उल्लेखनीय है कि एक्सेस पास भारत के ईईजेड में मछुआरों को मत्स्याखेट के लिए कानूनी और पारदर्शी तरीके से अनुमति देगा। यह उन्हें गहरे समुद्री क्षेत्रों में टूना जैसी उच्च-मूल्य की प्रजातियों को पकड़ने में मदद करेगा तथा अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन एवं उचित ट्रैकिंग भी सुनिश्चित होगी।

क्यों महत्वपूर्ण है एक्सेस पास प्रदान करने का निर्णय

भारत के पास 11,099 किलोमीटर की तटरेखा और 24 लाख वर्ग किलोमीटर का ईईजेड है। विशाल समुद्री संसाधन से समृद्ध होने के बावजूद अधिकतर मछली पकड़ने की गतिविधियां 40-50 नॉटिकल मील (समुद्री मील) तक ही सीमित रहती है। ईईजेड नियम, 2025 में मत्स्याखेट के टिकाऊ उपयोग को 4 नवंबर, 2025 को प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। ये नियम एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा बनाते हैं, जिसका उद्देश्य ईईजेड में मत्स्याखेट गतिविधियों का जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से विस्तार करना है।

यह ढांचा निगरानी, अनुपालन और सुरक्षा में वृद्धि करेगा, साथ ही इससे मत्स्य पालन क्षेत्र की आय में भी बढ़ोतरी होगी। यह भारत के सीफूड यानी समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को भी मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा। भारत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 62,408 करोड़ रुपए मूल्य के सीफूड निर्यात के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। गुजरात में वेरावल एक मुख्य मछली प्रसंस्करण और निर्यात केंद्र है और इसकी रणनीतिक लोकेशन के कारण इसे एक्सेस पास के लॉन्च के लिए चुना गया है। भारत सरकार का उद्देश्य देश भर में 34 मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्लस्टरों का विकास करना है, जिसमें वेरावल सीफूड निर्यात, मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। यह पहल सरकार के ब्लू इकोनॉमी विजन के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के सीफूड निर्यात का लाभ सीधे मछुआरों और तटीय समुदायों को मिले और प्रीमियम वैश्विक बाजारों तक पहुंच भी सुनिश्चित हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 (यूएनसीएलओएस) के अंतर्गत व्याख्यायित वह समुद्री क्षेत्र होता है, जो किसी देश की समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील तक फैला होता है। इस जोन में देश को समुद्री संसाधनों की खोज, संरक्षण और उपयोग करने के विशिष्ट अधिकार मिलते हैं, जिसमें मत्स्याखेट, ऊर्जा उत्पादन और खनिजों का दोहन शामिल है। लगभग 24 लाख वर्ग किमी में फैले ईईजेड के साथ, भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री क्षेत्र वाले देशों में से एक है। यह क्षेत्र टिकाऊ मत्स्य पालन विकास, आजीविका उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और निर्यात वृद्धि के लिए अपार अवसर प्रदान करता है।

वेरावल स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्याखेट और एक्सेस पास की सुविधा लॉन्च होने से यह क्षेत्र मत्स्य पालन विकास के एक मुख्य केंद्र के रूप में उभरेगा, जो समुद्री संसाधन वृद्धि और निर्यात में गुजरात के नेतृत्व को दिखाता है।

सोनगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले नाबालिग बालक को रेलवे कर्मचारियों की तत्परता से मिला सुरक्षित संरक्षण

दिनांक 18 फरवरी 2026 को रेलवे सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सतर्क ड्यूटी के दौरान सोनगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या–01 पर कार्यरत प्वाइंट्समैन श्री बलवीर मीना को एक नाबालिग बालक संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला। पूछताछ करने पर बालक अपने संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। तत्पश्चात प्वाइंट्समैन द्वारा उसे तत्काल स्टेशन मास्टर श्री पंकज कुमार के पास लाया गया।

स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना दिए जाने पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) स्टाफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में लिया। पूछताछ के दौरान बालक अपना सही नाम एवं पता स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे सोनगढ़ स्टेशन मास्टर कार्यालय में सुरक्षित बैठाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

इसके पश्चात स्टेशन प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाना को दूरभाष के माध्यम से सूचना दी गई। बालक की आयु लगभग 14 से 15 वर्ष आंकी गई है। रेल प्रशासन एवं आरपीएफ की सजगता, संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप नाबालिग बालक को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, भावनगर के माध्यम से सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया गया तथा आगे की विधिक प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।

राजकोट मंडल में डबल ट्रैक कार्य हेतु लिए गए ब्लॉक के कारण भावनगर मंडल की कुछ ट्रेन सेवाएँ होंगी प्रभावित

राजकोट मंडल के अंतर्गत जामनगर–लाखाबावल सेक्शन में डबल ट्रैक निर्माण कार्य के लिए परिचालन ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के चलते दिनांक 21 फरवरी से 26 फरवरी, 2026 तक कुछ ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव पड़ेगा। भावनगर रेलवे मंडल की प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है — आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनें

1. दिनांक 25.02.2026 को भावनगर से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 19209 भावनगर–ओखा एक्सप्रेस को राजकोट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। अतः यह ट्रेन राजकोट–ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
2. दिनांक 26.02.2026 को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को राजकोट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा।

इस प्रकार यह ट्रेन ओखा–राजकोट के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेन

1.दिनांक 26.02.2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12905 पोरबंदर–शालीमार एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग वाया जेतलसर–भक्तिनगर संचालित किया जाएगा।

रिशेड्यूल की गई ट्रेन

1.दिनांक 24.02.2026 को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को ओखा स्टेशन से 2 घंटे विलंब से प्रस्थान करने के लिए रिशेड्यूल किया गया है।

मार्ग में रेगुलेट (विलंबित) की जाने वाली ट्रेन

1.दिनांक 21, 22 एवं 23 फरवरी, 2026 को गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को मार्ग में लगभग 25 मिनट रेगुलेट (लेट) किया जाएगा।

रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं तथा ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट का अवलोकन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

महेसाणा–जगुदन सेक्शन में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के महेसाणा-जगुदन स्टेशनों के बीच ब्रिज नं. 976 के पुनर्निर्माण के संबंध में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जो निम्नानुसार हैः-

पूर्णतः रद्द ट्रेन

दिनांक 20.02.2026 की ट्रेन संख्या 79435/79436 साबरमती-पाटन-साबरमती डेमू रद्द रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

दिनांक 19.02.2026 की 19032 योगनगरी ऋषिकेश-साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा-आंबलियासन-कलोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-कटोसण रोड-कलोल के रास्ते चलेगी।

दिनांक 19.02.2026 की 19412 दौलतपुर चौक-साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा-आंबलियासन-कलोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-कटोसण रोड-कलोल के रास्ते चलेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें। यात्री ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते है।

“सूरत के बाजार में एजेंसियों और दलालों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण व्यापारी भुगतान में फंसे हुए हैं।”

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शहर, जिसे वस्त्र बाजार और हीरा शहर के नाम से जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय बाजार है। इन बाजारों से विदेशों में माल का निर्यात होता है। भारत के कई राज्यों में भी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का व्यापार होता है। ये वस्त्र थोक व्यापारियों से लेकर अर्ध-थोक व्यापारियों तक, एजेंसी और बिचौलियों के नियंत्रण में खुदरा ग्राहकों तक बाजार की नीतियों, नियमों और विनियमों के अनुसार बेचे जाते हैं। थोक व्यापारी अपनी विश्वसनीयता का लाभ उठाते हुए, करोड़ों रुपये का माल देश के अन्य राज्यों और विदेशों में उन्हीं एजेंसियों और बिचौलियों के माध्यम से बेचते थे। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए, एजेंसियां और बिचौलिए माल खरीदने वाले व्यापारियों से अपने नाम पर बिल बनाते थे, कानून के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए, बिचौलिए और एजेंसियों के प्रबंधक अपने नाम पर जल्दी भुगतान ले लेते थे और लंबे समय तक थोक व्यापारियों को भुगतान नहीं करते थे। इससे तंग आकर थोक व्यापारी अंततः माल खरीदने वाले मूल पक्ष को फोन करते हैं, पूरा भोपाल हंगामा मच जाता है और थोक व्यापारी हैरान रह जाते हैं। जब एजेंसियों या बिचौलियों से माल के बकाया भुगतान की मांग की जाती है, तो वे गुस्से में आकर व्यापारियों के सामने हाथ मिला लेते हैं। मीठी-मीठी बातें करने के बाद, एजेंसियों और बिचौलियों के प्रबंधक अंततः अपने खातों के चेक थोक व्यापारियों को देकर मामले को शांत कर देते हैं।

लेकिन ये एजेंसियां और बिचौलिए व्यापारियों द्वारा दिए गए चेक को तय तारीख पर जमा नहीं करते और समय बर्बाद करते हैं, जिससे चेक की तारीख बीत जाने के बाद थोक व्यापारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते। पुलिस और अदालती चक्करों से बचने के लिए एजेंसियां और बिचौलिए इसका फायदा उठाते हैं। इस तरह, थोक व्यापारियों के भुगतान नियमों और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, अधिक प्रतिशत काटकर भुगतान ले लेते हैं और एजेंसी प्रबंधक और बिचौलिए हवाई जहाज से यात्रा करते हैं और देश-विदेश में रातें बिताते हैं। वहीं, मूल माल का मालिक, यानी थोक व्यापारी, देश-विदेश में बसों और ट्रेनों से यात्रा करके ग्राहक से बकाया राशि वसूलता है। जब ग्राहक थोक व्यापारियों को बताता है कि उसका भुगतान दो महीने पहले ही हो चुका है, तब व्यापारी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।

इस तरह की कार्यप्रणाली में बिचौलिए और एजेंसियां बंद दुकानों को किराए पर लेती हैं और थोक व्यापारियों से सामान खरीदने के लिए अन्य तीसरे पक्षों को नियुक्त करती हैं, फिर सामान को अन्य लोगों को बेच देती हैं, दुकान की खिड़कियां बंद कर देती हैं और रात भर काम करती हैं, जिससे थोक व्यापारी पीड़ा से कराहते हैं।

अब, इसी तरह, हीरे के कारोबार में भी, हीरा निर्माताओं के भुगतान खरीदारों द्वारा चुराए जा रहे हैं। अतीत में, कारीगरों को भुगतान न मिलने से निराश होकर निर्माताओं ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में, खरीदार कच्चे माल का आयात करते हैं और हीरा निर्माता हीरा कारीगरों से वही माल तैयार करवाकर खरीदारों द्वारा उस पक्ष को निर्यात किया जाता है। खरीदारों द्वारा भुगतान ले लिया जाता है और जब हीरा निर्माताओं को पता चलता है कि उनके तैयार माल का भुगतान खरीदारों ने ले लिया है, तो खरीदार कपड़ा बाजार के बिचौलियों जैसी नीति अपनाकर हीरा निर्माताओं को सबक सिखाते हैं। जिसके कारण, हीरा निर्माता भी पुलिस स्टेशन या अदालत में पकड़े जाने से बचना चाहते हैं, इसलिए व्यापारी उनकी साख का दुरुपयोग करते हैं और इस तरह का अवैध धंधा करते हैं। जब कपड़ा बाजार के व्यापारियों की तरह हीरा निर्माताओं की भी जांच की जाती है, तो व्यापारियों की धज्जियां उड़ जाती हैं। वही व्यापारी हवाई जहाज से घूमते हैं और रैलियां करते हैं।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री मूल रूप से सूरत के निवासी हैं और मजूरागेट क्षेत्र में रहते हैं, तो ऐसे गंभीर अपराधों के लिए सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में विशेष वस्त्र धोखाधड़ी के मामलों के लिए एक निजी जांच अधिकारी और स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए, जो केवल वस्त्र संबंधी अपराधों की जांच कर सके। इसी प्रकार, हीरे की धोखाधड़ी के मामलों के लिए महिधरपुरा और वराछा पुलिस स्टेशनों में विशेष निजी जांच अधिकारी और स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए, जो केवल हीरे की धोखाधड़ी की जांच कर सके।

इस संबंध में, विकास उपभोक्ता संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के दक्षिण गुजरात अध्यक्ष, छगनलाल दौलतराम मेवाड़ा, उन व्यापारियों से हलफनामा प्राप्त करेंगे जिन्होंने एजेंसियों, बिचौलियों और खरीदारों को समय से पहले भुगतान कर दिया है और वह भुगतान मूल थोक कपड़ा व्यापारियों या कच्चे हीरे के निर्माताओं को प्राप्त नहीं हुआ है। वे उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर करके व्यापारियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।

अंत में, यह संगठन उपमुख्यमंत्री से विशेष अपील करता है कि वे ऐसे मामलों को गंभीरता से लें और उन पर कार्रवाई करें।

सूरत के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण और भ्रष्ट भवन प्रबंधन

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शहर के सचिन, सूदा, कनकपुर, कंसद, पालीगम, तलंगपुर, पलसाना, कडोदरा, जोलवा, तातिथैया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, साथ ही हजीरा, किम, पिपोदरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी, कामगार वर्ग के लिए 8x8 या 10x10 के कमरे उन इमारतों में बनाए जा रहे हैं जिनमें हवा नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन हर कमरे में, जहां सांस लेना मुश्किल है, 5 से 7 लोग किराए पर रह रहे हैं। उपरोक्त क्षेत्रों के पदाधिकारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से इन इमारतों का निर्माण करने वालों को फायदा हो रहा है, जिसके चलते बेतरतीब ढंग से इमारतें बन रही हैं और कामगार वर्ग का आर्थिक शोषण हो रहा है। इन इमारतों का निर्माण करने वाले छोटे-बड़े व्यवसाय करके पैसा कमाते हैं और निर्माण का कोई ज्ञान या अनुभव न होने के बावजूद, वे किसी वास्तुकार या सिविल इंजीनियर से सलाह लिए बिना या भवन योजना और नक्शे प्रस्तुत किए बिना ही इस प्रकार, कारखाने में रहने वाले मजदूर 8x8 या 10x10 के कमरों में जेल की कोठरियों की तरह रहते हैं । क्योंकि गर्मियों में इन कमरों में रहने वाले मजदूरों की हालत बेहद खराब हो जाती है। एक ओर, अगर कोई मजदूर कारखाने की गर्मी से थककर घर आता है, तो

हवा और रोशनी न होने के कारण कमरों की भीषण गर्मी से परेशान होकर पसीने से तरबतर हो जाता है। यह उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है। जो लोग इस तरह की इमारतें बनाते हैं, वे ऊपरी हिस्से में कमरे बनाते हैं और निचले हिस्से में दुकानें बनाते हैं। वे इन दुकानों को खुद को या अपने करीबी रिश्तेदारों को किराए पर देते हैं और उनमें एक किराने की दुकान भी खोलते हैं।

वे अन्य दुकानों को भी दूसरों को किराए पर देते हैं और उनसे किराया वसूलते हैं। अब चूंकि किराने की दुकान भी इमारत के मालिक या उसके करीबी रिश्तेदारों की ही होती है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि उसके कमरों में रहने वाले मजदूर उसकी अपनी दुकान से ही किराने का सामान न खरीदकर दूसरी दुकानों से ही खरीदें ? इस तरह व्यापारी मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, उल्लासनगर के नकली और घटिया सामान जैसे साबुन, टूथपेस्ट, तेल आदि को ब्रांडेड सामान बताकर बेचा जाता है और असली सामान की कीमत वसूल की जाती है। इसके लिए मजदूरों की मासिक डायरी बनाई जाती है। जिसमें दाल, चावल, फलियां और राशन से संबंधित सभी खाद्य पदार्थों को घटिया बताकर ब्रांडेड सामान बताकर पैसे वसूले जाते हैं। जब डायरी का मासिक हिसाब-किताब किया जाता है, तो भुगतान करते समय मजदूर

सामान की ऊंची कीमत या गुणवत्ता की तुलना नहीं करते हैं। इस कारण दुकानदार कुल राशि में गलती कर देता है और डायरी में लिखी राशि ही दुकानदार को दे देता है, जिसके बाद मजदूर चला जाता है। दुकानदार द्वारा बेचा गया सामान घटिया गुणवत्ता का होता है, जो मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है।

लेकिन दीर्घकाल में इसका प्रभाव यह है कि श्रमिकों में बीमारी की दर बढ़ रही है। यह चिंता का विषय है। इस संबंध में, स्वास्थ्य विभाग और वजन विभाग द्वारा खाद्य एवं किराना दुकानों में बिकने वाली अस्थायी वस्तुओं की नियमित जांच आवश्यक है । हालांकि, इस मामले में सरकारी व्यवस्था गहरी नींद में है। ऊपर निर्मित इमारतों में 8x8 या 10x10 आकार के 50 से 100 कमरे हैं

, और ये कमरे कैसे बनाए जा रहे हैं? इसका कारण यह है कि इन इमारतों का निर्माण करने वाले लोगसूरत नगर निगम, सुदा, नगर पंचायत या अन्य पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा “नियंत्रित” हैं।

इन भ्रष्ट अधिकारियों और पदाधिकारियों के “पाप” के कारण, किराया वसूलने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में अव्यवस्थित इमारतें बना रहे हैं, जिससे मजदूरों का जीवन खतरे में पड़ रहा है।स्थायी आय और किराए के लिए निर्मित भवनों का आज तक किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी ने दौरा नहीं किया है और भवनों की गुणवत्ता और वायु गुणवत्ता के संबंध में कोई गंभीर निरीक्षण नहीं किया गया है, जिसके कारण श्रमिक वर्ग दयनीय जीवन जीने को विवश है ।विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, प्रत्यक्ष निरीक्षण न करने का कारण यह है कि भवन मालिकों द्वारा अधिकारियों या पदाधिकारियों को उनके सहायकों द्वारा प्रति भूखंड निर्धारित राशि के सीलबंद लिफाफे दिए जाते हैं, यानी एक, दो या अधिक भूखंडों को मिलाकर निर्मित भवनों के लिए , इसलिए अधिकारी और पदाधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करने से बचते हैं। चूंकि भवन मालिक उक्त भवनों में किराए पर दिए गए कमरों में रहने वाले लोगों की कोई गहन जांच नहीं करते , इसलिए कुछ समय पहले पालसाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि मादक पदार्थों के साथ पकड़ा गया था। यह भवन मालिकों की लापरवाही और गैरजिम्मेदारी का एक उदाहरण है। क्या भवन मालिक यह जांच नहीं करते कि कमरा किराए पर लेने वाला व्यक्ति कहां काम करता है? क्या उसके पहचान पत्र असली हैं या नकली? उसका व्यवसाय क्या है? इस तरह की गहन जांच किए बिना ही कमरे किराए पर दे दिए जाते हैं।

इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस व्यवस्था की ज़िम्मेदारी अधिकारियों और पदाधिकारियों से कहीं अधिक है। क्योंकि उसे स्वयं किरायेदारों के बारे में मालिकों से जानकारी एकत्र करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। इसके विपरीत, भ्रष्टाचार से ग्रस्त पुलिस व्यवस्था होली, दिवाली या अन्य त्योहारों के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऐसे भवनों के मालिकों को अपने सहायकों के माध्यम से पुलिस थानों में बुलाती है और उन्हें अपना ही प्रशासन चलाने के लिए मजबूर करती है। इस खेल में, कुछ अधिकारी, नशीले पदार्थों के व्यापार को भली-भांति जानते हुए भी, आंखें मूंद लेते हैं और अपनी स्वार्थपरता पूरी करते हैं, जिसके कारण नशीले पदार्थों का व्यापार जारी रहता है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस प्रकार की घटिया इमारतें पहले भी ढह चुकी हैं, जिससे कई लोगों की जान-माल की हानि हुई है। इसके अलावा, यदि इन कमरों में रहने वाले श्रमिकों के बीच किसी विवाद या झगड़े में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वे आत्महत्या कर लेते हैं और उचित जांच किए बिना शव को मृतक के परिवार को सौंप देते हैं।

इससे अधिक शर्मनाक और क्या हो सकता है? इस प्रकार, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक अपना जीवन ईश्वर पर भरोसा रखते हुए व्यतीत करते हैं और अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

तेरापंथ महिला मंडल सूरत का होली स्नेह मिलन उत्साह और सांस्कृतिक रंगों के साथ संपन्न

तेरापंथ महिला मंडल सूरत द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह इस वर्ष भी अत्यंत भव्य, भावनात्मक और सांस्कृतिक गरिमा से परिपूर्ण रहा। सूरत के सिटीलाइट क्षेत्र स्थित तेरापंथ भवन में आयोजित इस कार्यक्रम ने केवल एक उत्सव का स्वरूप नहीं लिया, बल्कि यह सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और पारिवारिक स्नेह का जीवंत प्रतीक बन गया। इस आयोजन में महिलाओं, कन्याओं और मंडल की वरिष्ठ सदस्याओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और पूरे वातावरण को उत्साह, उमंग और प्रेम से भर दिया।

कार्यक्रम का प्रारंभ अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण में नमस्कार मंत्र के सामूहिक उच्चारण के साथ हुआ। जैसे ही सभी उपस्थित सदस्याओं ने एक स्वर में मंत्र का उच्चारण किया, पूरा सभागार सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति से भर गया। यह क्षण केवल एक औपचारिक शुरुआत नहीं था, बल्कि इसने सभी के मन को एक सूत्र में बांध दिया और आयोजन के मूल उद्देश्य—एकता और सौहार्द—को साकार कर दिया। मंडल की अध्यक्षा प्रतीक्षा बोथरा ने अपने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों, वरिष्ठ सदस्याओं और उपस्थित महिलाओं का हृदय से स्वागत किया। उन्होंने होली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम, क्षमा, नई शुरुआत और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों के मन में उत्साह और गर्व की भावना उत्पन्न की।

कार्यक्रम का सबसे आकर्षक और मनमोहक हिस्सा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं, जिनमें महिलाओं और कन्याओं ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। पारंपरिक परिधानों में सजी प्रतिभागियों ने रंग, संगीत और भावनाओं के माध्यम से अपनी प्रस्तुति को जीवंत बना दिया। राधा-कृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को भक्ति रस से भर दिया। इस प्रस्तुति में प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिकता का जो भाव प्रकट हुआ, उसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रस्तुति के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं राधा और कृष्ण की दिव्य लीला मंच पर साकार हो गई हो।

इसके अतिरिक्त, सैनिकों के जीवन पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति ने पूरे कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान की। इस भावपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से देश के वीर सैनिकों के त्याग, साहस और देशभक्ति को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुति ने सभी उपस्थित लोगों के हृदय को भावुक कर दिया और देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को और अधिक मजबूत किया। यह प्रस्तुति केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का सशक्त संदेश भी थी।

समारोह के दौरान मंडल की पूर्वाध्यक्षों का सम्मान किया गया, जो इस संगठन की नींव और उसकी सफलता के स्तंभ रही हैं। उनके योगदान, नेतृत्व और समर्पण ने मंडल को आज जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, वह अत्यंत सराहनीय है। सम्मान समारोह के दौरान सभी ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त किया। यह क्षण संगठन की निरंतरता, परंपरा और सामूहिक प्रयासों की महत्ता को दर्शाने वाला था।

इस आयोजन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मधु देरासरिया, कार्यकारिणी सदस्य राखी बैद, पूर्णिमा गादिया सहित अनेक गणमान्य सदस्याएं, परामर्शक, पूर्वाध्यक्ष और मंडल की सक्रिय सदस्याएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। सभी ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दिया। उनकी उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा और महत्व को और अधिक बढ़ा दिया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में संयोजिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने पूरे कार्यक्रम की योजना, समन्वय और संचालन को अत्यंत कुशलता से संभाला। उनकी मेहनत, समर्पण और संगठनात्मक क्षमता के कारण कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित और प्रभावशाली रहा। प्रायोजक राजुल चौरडिया और समता बैंगानी का सहयोग भी आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण रहा। उनके समर्थन ने यह सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम सभी दृष्टियों से सफल और स्मरणीय बने।

समारोह के दौरान महिलाओं के बीच आपसी संवाद, हंसी-मजाक और सौहार्द का वातावरण बना रहा। सभी ने एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं और प्रेम तथा मित्रता के रंगों से अपने संबंधों को और अधिक मजबूत किया। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा मंच था, जहां महिलाएं अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को साझा कर सकीं।

दक्षिण गुजरात में स्वास्थ्य क्रांति की नई शुरुआत, कामरेज बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं का सबसे बड़ा केंद्र

सूरत जिले के कामरेज क्षेत्र को गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी परियोजना का तोहफा दिया है, जो आने वाले वर्षों में पूरे दक्षिण गुजरात की चिकित्सा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। वर्ष 2026–27 के बजट में लगभग 1450 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल और अत्याधुनिक ‘स्टेट-ऑफ-द-आर्ट’ हॉस्पिटल कैंपस के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना न केवल सूरत जिले बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि इससे क्षेत्र के लाखों लोगों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं अपने ही शहर में उपलब्ध हो सकेंगी।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही परिसर में जनरल अस्पताल के साथ तीन अलग-अलग सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। यह मॉडल आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा, जिसमें मरीजों को विभिन्न प्रकार के जटिल रोगों के उपचार के लिए अलग-अलग शहरों या राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मेडिकल कैंपस में बनने वाला जनरल ब्रॉड स्पेशियलिटी अस्पताल लगभग 1500 बेड की क्षमता वाला होगा, जिसमें सामान्य और जटिल दोनों प्रकार की बीमारियों का उपचार अत्याधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, कार्डियक और न्यूरो सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण भी इस परिसर में किया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक बेड की सुविधा होगी। यह अस्पताल विशेष रूप से हृदय और मस्तिष्क से संबंधित गंभीर रोगों के उपचार के लिए समर्पित होगा। आज के समय में हृदय रोग और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, और इनका समय पर और विशेषज्ञ स्तर पर उपचार अत्यंत आवश्यक होता है। इस अस्पताल के निर्माण से सूरत और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को उच्च स्तरीय उपचार के लिए महानगरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा।

इसी परिसर में यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक बेड होंगे। यह अस्पताल किडनी और मूत्र संबंधी जटिल रोगों के उपचार के लिए समर्पित होगा। वर्तमान समय में किडनी से संबंधित बीमारियों के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, और इनका उपचार अत्यधिक विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीक की मांग करता है। इस अस्पताल के माध्यम से मरीजों को डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य उन्नत उपचार सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी।

इसके साथ ही कैंसर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी इस मेडिकल कैंपस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जिसमें 500 से अधिक बेड की सुविधा होगी। कैंसर जैसी गंभीर और जटिल बीमारी के उपचार के लिए आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों और व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इस अस्पताल में कैंसर के निदान, उपचार और अनुसंधान की विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे मरीजों को समय पर और प्रभावी उपचार मिल सकेगा। यह अस्पताल न केवल उपचार का केंद्र होगा, बल्कि कैंसर रिसर्च और जागरूकता का भी प्रमुख केंद्र बनेगा।

गुजरात सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल 1500 करोड़ रुपये का व्यापक खाका तैयार किया है और वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में शुरुआती तौर पर 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। यह सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद कामरेज क्षेत्र न केवल सूरत जिले बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक मेडिकल हब बन जाएगा।

बोर्ड परीक्षाओं की सुगमता के लिए सूरत प्रशासन की व्यापक तैयारी, विद्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

सूरत में आगामी कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन, शिक्षा विभाग और यातायात पुलिस ने मिलकर अभूतपूर्व तैयारी की है, ताकि हजारों विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई या तनाव का सामना न करना पड़े। 26 फरवरी से प्रारंभ होने वाली इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने विशेष रणनीति तैयार की है, जिसमें विद्यार्थियों की समय पर उपस्थिति, उनकी सुरक्षा और परीक्षा केंद्रों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य है। यह परीक्षा विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती है, इसलिए प्रशासन ने इसे पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ आयोजित करने का संकल्प लिया है।

शहर में इस समय बड़े पैमाने पर मेट्रो परियोजना का कार्य जारी है, जिसके कारण कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है, जिससे सुबह और दोपहर के समय यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शहर के 203 ऐसे परीक्षा केंद्रों की पहचान की है, जहां ट्रैफिक का प्रभाव अधिक रहने की संभावना है। इन केंद्रों की सूची जारी कर विद्यार्थियों और अभिभावकों को पहले से ही सचेत कर दिया गया है, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना समय रहते बना सकें और किसी भी प्रकार की देरी से बच सकें।

शहर के कई प्रमुख और व्यस्त क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जिनमें चौक बाजार, अठवागेट, वराछा, कटारगाम, ओलपाड, रांदेर, उधना, कामरेज और सचिन जैसे इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सामान्य दिनों में भी यातायात का दबाव अधिक रहता है, और मेट्रो कार्य के कारण स्थिति और जटिल हो गई है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र इन क्षेत्रों में स्थित है या जो इन मार्गों से होकर गुजरते हैं, वे परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंच जाएं। यह कदम विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचाने और परीक्षा के समय पर प्रारंभ होने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

शिक्षा विभाग और ट्रैफिक पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि परीक्षा अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। इसके तहत कई मार्गों पर अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे, ताकि परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात का दबाव कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रमुख परीक्षा केंद्रों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जो यातायात को नियंत्रित करने के साथ-साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। परीक्षा केंद्रों के पास पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है और अनावश्यक वाहन पार्किंग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि विद्यार्थियों को केंद्र में प्रवेश करने में किसी प्रकार की बाधा न हो।

संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। वहां मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और प्रवेश से पहले सघन जांच की व्यवस्था की गई है, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक शोर-शराबे पर रोक लगाई जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को शांत और एकाग्र वातावरण मिल सके और वे बिना किसी व्यवधान के अपनी परीक्षा दे सकें।

इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं इन बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जिससे प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अधिकारियों ने अभिभावकों से विशेष रूप से अपील की है कि वे अपने बच्चों को समय से पहले घर से भेजें और जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन या साझा वाहन का उपयोग करें। इससे यातायात का दबाव कम होगा और सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा होगी। अभिभावकों का सहयोग इस पूरी व्यवस्था की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रशासन का मानना है कि परीक्षा केवल विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण नहीं होती, बल्कि यह उनकी मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि परीक्षा का वातावरण तनावमुक्त और अनुकूल बनाया जाए। प्रशासन द्वारा किए गए ये सभी प्रयास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जिससे विद्यार्थियों को यह महसूस हो कि उनके भविष्य की इस महत्वपूर्ण घड़ी में पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा है।

यह व्यापक तैयारी केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति समाज और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब प्रशासन, शिक्षा विभाग, पुलिस और अभिभावक मिलकर कार्य करते हैं, तो किसी भी चुनौती का प्रभावी समाधान संभव हो जाता है।

सोना वायदा में 578 रुपये और चांदी वायदा में 1532 रुपये की वृद्धि: क्रूड ऑयल वायदा 86 रुपये तेज

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 135939.51 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 27315.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 108621.74 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 38390 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2026.22 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 20201.08 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 155132 रुपये के भाव पर खूलकर, 157185 रुपये के दिन के उच्च और 155116 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 155761 रुपये के पिछले बंद के सामने 578 रुपये या 0.37 फीसदी की बढ़त के साथ 156339 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 213 रुपये या 0.17 फीसदी औंधकर 127101 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 21 रुपये या 0.13 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15918 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मार्च वायदा 153413 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 155000 रुपये और नीचे में 152800 रुपये पर पहुंचकर, 539 रुपये या 0.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 154134 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 154038 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 156730 रुपये और नीचे में 154038 रुपये पर पहुंचकर, 155424 रुपये के पिछले बंद के सामने 399 रुपये या 0.26 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 155823 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 242439 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 248596 रुपये और नीचे में 242439 रुपये पर पहुंचकर, 244268 रुपये के पिछले बंद के सामने 1532 रुपये या 0.63 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 245800 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1904 रुपये या 0.77 फीसदी की बढ़त के साथ 249457 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1866 रुपये

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 27315.12 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 108621.74 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 20201.08 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38390 पॉइंट के स्तर पर

या 0.75 फीसदी की तेजी के संग 249365 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। मेटल वर्ग में 4300.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 12.85 रुपये या 1.09 फीसदी गिरकर 1168.5 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1.5 रुपये या 0.46 फीसदी औंधकर 323.65 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 1 रुपये या 0.32 फीसदी औंधकर 307.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 30 पैसे या 0.16 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 187.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2759.07 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5959 रुपये के भाव पर खूलकर, 6021 रुपये के दिन के उच्च और 5921 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 86 रुपये या 1.46 फीसदी की तेजी के संग 5989 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 77 रुपये या 1.3 फीसदी की बढ़त के साथ 5984 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 277.5 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 279.2 रुपये और नीचे में 272.3 रुपये पर पहुंचकर, 268.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 9.6 रुपये या 3.57 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 278.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 9.2 रुपये या 3.42 फीसदी की मजबूती के साथ 278.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 961.1 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.6 रुपये या 0.27 फीसदी गिरकर 956 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11576.77 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8624.30 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3766.82 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 230.74 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 31.35 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 263.05 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 1652.55 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1101.89 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.28 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9236 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 64724 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 32014 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 428821 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 62064 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9313 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18193 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 64666 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21559 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25890 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 38438 पॉइंट पर खूलकर, 38683 के उच्च और 38330 के नीचले स्तर को छूकर, 364 पॉइंट बढ़कर 38390 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 65.2 रुपये की बढ़त के साथ 350.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.1 रुपये की बढ़त के साथ 6.65 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 187.5 रुपये की बढ़त के साथ 1711 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 280000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 210 रुपये की गिरावट के साथ 816 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.23 रुपये की गिरावट के साथ 5.1 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 25 पैसे के सुधार के साथ 0.58 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 42.2 रुपये की गिरावट के साथ 333.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5 रुपये की गिरावट के साथ 3.95 रुपये हुआ। सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 18 रुपये की गिरावट के साथ 1173 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 309 रुपये की गिरावट के साथ 643.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.65 रुपये की बढ़त के साथ 2.94 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6 पैसे की नरमी के साथ 1.49 रुपये हुआ।